राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, फलोदी

पीठासीन अधिकारी :– सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस.)

राजस्व प्रकरण संख्या :– 121/2024 **जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2024/181**
दायर दिनांक :– 05.07.2024 **निर्णय दिनांक :– 28.03.2025**

1. मोहनराम पुत्र रामूराम जाति विश्नोई निवासी नेवा तहसील बाप जिला फलोदी
2. बुधाराम पुत्र रामूराम जाति विश्नोई निवासी नेवां तहसील बाप जिला फलोदी

–प्रार्थी

बनाम

1. अमरखातु पत्नी नूरमोहम्मद जाति मुसलमान निवासी नुरे की भुर्ज तह. बाप जिला फलोदी
2. रहमत पत्नी सदीकखां जाति मुलसमान निवासी नुरे की भुर्ज तहसील बाप जिला फलोदी

–अप्रार्थी

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थित :–1. श्री करणीसिंह राठौड़ अधिवक्ता प्रार्थीगण
2. श्री राजेन्द्रसिंह सोंलकी अधि. अप्रार्थीगण

–:: निर्णय ::–

प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण के विरूद्व मजबूत आधारों का एक नियमित राजस्व वाद खातेदारी अधिकारों की घोषणा एवं जारी करवाने स्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया। जिसमें प्रार्थीगण को वाद के तथ्यों एवं दस्तावेजात के आधार पर वाद में सफलता मिलने की पुरी उम्मीद है। प्रार्थीगण का वाद प्रथम दृष्टया साबित है। प्रार्थीगण के दादा हरदास पुत्र काला के नाम से वक्त सेटलमेंट कदिमी पीढी दर पीढी चली आ रही पैतृक काश्त भूमि खते खसरा नम्बर 670 रकबा 356–08 बीघा ग्रमा कानासर की सरहद में पैमाईश के बाद अन्य खसरान् की भूमि के साथ दर्ज अभिलेख की गई। प्रार्थीगण के दादा ने अपने जीवनकाल में खसरा नम्बर 670 रकबा 80–00 बीघा रामस्वरूप व रामकुमार के किसी व्यक्ति को विक्रय कर हरस्तान्तरण नही की, और न किसी व्यक्ति को मौका पर वास्तविक एवं भौतिक कब्जा सुपुर्द किया। रामस्वरूप व रामकुमार के नाम विक्रय हस्तान्तरण कूटरचित फर्जी है। खसरा नम्बर 670 की भूमि की खतौनी बन्दोबस्त सम्वत 2015 से 2034 एवं चालू जमाबंदी की प्रमाणित प्रति संलग्न है। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 कानून हाथ में लेकर विधि विरूद्व तरीके से वादग्रस्त अविभाजित काश्त भूमि पर मननाने तरीके से किसी 1 भू भाग पर जबरन कब्जा करने और प्रार्थीगण को बेदखल करने पर आमाद है, अगर अप्रार्थीगण अपने नापाक मंसुबो पर सफल हो जाते है तो वादीगण के जायज हकूको पर कुठाराघात होगा और प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होगी जिसका मूल्याकंन रूपयों में नहीं आंका जा सकेगा। प्रार्थीगण दावेदार है, तथा अप्रार्थीगण विरूद्व अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करवाने के हकदार है।

28/3/25
सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली गयी और प्रार्थना पत्र रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थीगण की और से अधिवक्ता श्री राजेन्द्रसिंह सोंलकी ने जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली बहस में रखी गयी।

बहस अधिवक्ता उभय पक्ष प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 सुनी गयी। पत्रावली में सलंग्न प्रार्थना पत्र, जमाबंदी इत्यादि का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन पाया गया कि वादग्रस्त भूमि पर कब्जा प्रार्थीगण का है। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के मध्य वादग्रस्त भूमि को लेकर खातेदारी अधिकारों की घोषणा का वाद विचाराधीन है। वादग्रस्त भूमि में किसका कितना हक हिस्सा बनता है इसका निर्धारण मूल वाद में तय किया जाना है। अतः पत्रावली के संलग्न दस्तावेजात के आधार प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन, अपूरणीय क्षति के तीनों बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में सिद्व होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

—:आदेश:—

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा भली भांति साबित होने के कारण स्वीकार किया जाता है। अस्थाई व्यादेश बहक प्रार्थीगण विरूद्व अप्रार्थीगण इस आशय का कन्फर्म किया जाता है कि मूल वाद के निस्तारण तक ग्राम नेवा पटवार मण्डल कानासर तहसील बाप के खसरा नम्बर 670/4 रकबा 12.9499 हैक्टेयर में अप्रार्थीगण प्रार्थीगण के कब्जा काश्त की भूमि में दखलअंदाजी न करे व मौके तथा राजस्व अभिलेख की यथास्थिति बनायें रखें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 28.03.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

20/3/25

(सुखाराम पिण्डेल आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)